

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी-

रामरतन साँकरिया

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

आर.ए.एस.

26/2025/प्रा.पत्र/2025

19.03.2025

तारीख निर्णय

09.05.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1-श्री नरेन्द्र सिंहल पुत्र श्री टीकम चन्द सिंहल निवासी पटेल नगर देवकन्या महाविद्यालय के पास देवली जिला टोंक एफ.बी.ओ मैसर्स टीकम चन्द नरेन्द्र कुमार ममता सर्किल अग्रसेन बाजार देवली जिला टोंक राज0। पिनकोड-304804 मोबाईल नं0 9829232140।

2-मैसर्स टीकम चन्द नरेन्द्र कुमार ममता सर्किल अग्रसेन बाजार देवली जिला टोंक राज0। पिनकोड-304804।

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अप्रार्थी की ओर से निर्माता फर्म के अभिषेक जैन उप्।

:-निर्णय-:

दिनांक 09.05.25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.10.2024 को समय 02:30 पी.एम. पर मैसर्स टीकम चन्द नरेन्द्र कुमार ममता सर्किल अग्रसेन बाजार देवली जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री नरेन्द्र सिंहल पुत्र श्री टीकम चन्द सिंहल अपने प्रतिष्ठान मैसर्स टीकम चन्द नरेन्द्र कुमार ममता सर्किल अग्रसेन बाजार देवली जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री नरेन्द्र सिंहल पुत्र श्री टीकम चन्द सिंहल को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री नरेन्द्र सिंहल पुत्र श्री टीकम चन्द सिंहल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड़, तेल, घी, मसाले के साथ-साथ दुकान की रैक में लगभग 20 मूल पैक पैकड अवस्था में प्रत्येक नग 500-500 एम.एल पैक कच्ची घाणी सरसों तेल (उडान ब्राण्ड) रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री नरेन्द्र सिंहल पुत्र श्री टीकम चन्द सिंहल को गवाह केसामने फार्म नं0 5 ए में वास्ते नमूना जांच कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री नरेन्द्र सिंहल पुत्र श्री टीकम चन्द सिंहल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह कच्ची घाणी सरसों तेल(उडान ब्राण्ड) वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, दुकान की रैक में लगभग में लगभग 20 मूल पैक पैकड अवस्था में से 500-500 एम.एल. पैक जिनके बैच नं0 अनुपस्थित एवं पैकिंग की दिनांक 11.09.2024थी, को ज्यों का त्यों कच्ची घाणी सरसों तेल(उडान ब्राण्ड) में से 500-500 एम.एल. पैक के कुल 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा कच्ची घाणी सरसों तेल(उडान ब्राण्ड) को 500-500 एम. पैक. को ज्यों का त्यों अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर कर, नियमानुसार चार भाग तैयार कर नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-4173 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को खाकी कागज से अच्छी तरह लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-4173 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, राज0 जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

श्री नरेन्द्र सिंहल पुत्र श्री टीकम चन्द सिंहल एफ.बी.ओ मैसर्स टीकम चन्द नरेन्द्र कुमार ममता सर्किल अग्रसेन बाजार देवली जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी उक्त खाद्य पदार्थ का कोई खरीद बिल उपलब्ध नहीं करवाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/1468 दिनांक 18.11.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/4201/एक्ट/2024/4138 दिनांक 28.10.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच कय किया गया कच्ची घाणी सरसों तेल(उडान ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011की धारा



  
अतिरिक्त जिला माजिस्ट्रेट  
टोंक

3(1)(zx) के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से निर्माता फर्म के अभिषेक जैन उपस्थित हुये एवं निवेदन किया कि विक्रेता नरेन्द्र सिंघल द्वारा विक्रय किया गया कच्ची घाणी सरसों तेल मेरी फर्म द्वारा निर्मित है एवं मैंने ही नरेन्द्र सिंघल को विक्रय किया था, जिसकी समस्त जिम्मेदारी निर्माता फर्म की है। उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस कच्ची घाणी सरसों तेल(उडान ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे, वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों को पूरा नहीं करता है, उक्त सरसों तेल जांच में अवमानक(Sub-Standard)स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने निर्माता फर्म के प्रतिनिधि एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया कच्ची घाणी सरसों तेल (उडान ब्राण्ड) का नमूना जांच में अवमानक(Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/11/20 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(रामरतन सौकरिया)  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज0